लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2052

05 मई, 2016 को उत्तर दिए जाने के लिए

विद्युतकरघा क्षेत्र को प्रोत्साहन

2052. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डीः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विद्युतकरघा क्षेत्र को इससे बने वस्त्रों के उत्पादन तथा विपणन हेतु कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख) : देश में विद्युतकरघा वस्त्रों के उत्पादन और विपणन को सहयोग प्रदान करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। सरकार, साधारण विद्युतकरघों के लिए स्व-स्थाने उन्नयन योजना, समूह वर्कशेड योजना (जीडब्ल्यूएस), एकीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजना (आईएसपीएसडी) तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी जैसी विद्युतकरघा क्षेत्र की योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, विद्युतकरघा बुनकरों को अपने उत्पादों की बिक्री करने के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया कराने के लिए एकीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजना (आईएसपीएसडी) के अंतर्गत एक संघटक के रूप में प्रदर्शनियां और क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित की जा रही हैं। पिछले दो वर्षों में विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए व्यय की गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

अनुबंध-I

वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	प्रदान की गई वित्तीय सहायता	
	2014-15	2015-16
एकीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजना	22.28	16.18
साधारण विद्युकरघा स्व-स्थाने उन्नयन योजना	9.98	59.185
समूह वर्कशेड योजना	16.40	20.070
समूह बीमा योजना	3.90	6.620
टीयूएफएस/एटीयूएफएस के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी योजना	130.00	165.98
व्यापक विद्युतकरघा कलस्टर विकास योजना	--	4.110
कुल	**182.56**	**272.145**

*****